पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन

राज्य	पेसा की धारा 4 के खंडों में प्रावधान													
									धारा-4(ड) के उप-खंड					
	घ (ग्राम सभा द्वारा विवाद समाधान का प्रथागत तरीका)	ङ (ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम लाभार्थियों का चयन)	च (ग्राम सभा से यूसी प्राप्त करने के लिए)	ज (मध्यवर्ती और जिला पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व न करने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का राज्य सरकार द्वारा नामांकन)	झ (भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पीआरआई के साथ	ञ (ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा जल निकायों की योजना और प्रबंधन)	ट पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा सिफारिश)	ठ (घने खनिजों के दोहन से पूर्व ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सिफारिश)	(i) (नशीले पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करना)	(ii) (स्व एमएफपी)	(iii) (भूमि हस्तांतरण को रोकना)	(iv) (ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन)	(v) (मुद्रा उधार पर नियंत्रण)	(vi) (सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना)
आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
छत्तीसगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
गुजरात	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
झारखंड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
ओडिशा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
महाराष्ट्र	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एमपी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
राजस्थान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
तेलंगाना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

'हाँ' का अर्थ है कि प्रावधान को पेसा के अनुरूप बनाया गया है।

'नहीं' का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है।